अध्याय 7

विमान (खतरनाक मालों की ढुलाई) नियम, 2003

अध्याय 7

वायुयान (खतरनाक माल का वहन) नियम, 2003

विषय सूची

अनुभाग		पृष्ठ
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना	225
2.	परिभाषाएं और निर्वचन	225
3.	खतरनाक माल का वायुयान द्वारा वहन	227
4.	अप्राधिकृत खतरनाक माल की अभिरक्षा	229
4 क	खतरनाक माल की वर्गीकरण	229
5.	पैकिंग	229
6.	लेवल लगाना	229
7.	चिन्हांकन	230
8.	माल भेजने वाले के दायित्व	230
9.	प्रचालक के दायित्व	230
9 क	विविध-घोषित अथवा अधोषित खतरनाक माल	230
10.	सूचना का उपबंध	232
10 क	निरीक्षण	232
11.	खतरनाक माल दुर्घटनाएं और घटनाएं	232
12.	प्रशिक्षण कार्यक्रम की अपेक्षा	232
12 क	प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थापना और अनुमोदन	232

13. महानिदेशक द्वारा निदेश 233

14. छूट देने की साधारण शक्ति 233

15. अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र और अनुमोदन का निरस्तीकरण या निलंबन .....

अध्याय 6
वायुयान (खतरनाक माल का वहन) नियम, 2003

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (खतरनाक माल का वहन) नियम, 2003 है।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और ये निम्नलिखित को भी लागू हैं:-

(क) ऐसे वायुयान को, जो भारत में रजिस्ट्रीकृत हैं या किसी ऐसे वायुयान को जो ऐसे प्रचालक द्वारा प्रचालित हैं जिसके कारबार का मुख्य स्थान अथवा स्थायी निवास स्थान भारत में है, चाहे वे कहीं भी हो;

(ख) ऐसे सभी वायुयानों को जो तत्समय भारत में या भारत के ऊपर हों, और

(ग) ऐसे व्यक्तियों को जो भारत के भीतर या भारत क ऊपर, भारत को या भारत से वायु परिवहन सेवाओं का प्रचालन कर रहें हों, और खतरनाक माल भेजने वालों का या उनके अभिकत्ताओं को।

(3) यह सरकारी राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं और निर्वचन- इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो-

(1) "विमान क्षेत्र" थल या जल का निश्चित या सीमित ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत है जो पूर्णत: य भागत: वायुयान के उतरने या उसके प्रस्थान के लिए आशयित है और इसके अंतर्गत उस पर और उससे संब) सभी भवन, शेड, यान, प्रस्तंभ और अन्य संरचनाएं आती हैं;

(2) "वायुयान" से ऐसी कोई मशीन अभिप्रेत है जो पृथ्वी की सतह के विरुद्ध वायु की प्रतिक्रिया से भिन्न वायु की प्रतिक्रिया से वातावरण में अवलंब प्राप्त कर सकती है और इसके अंतर्गत बैलून जो चाहे स्थिर हों या मुक्त हों, वायु पोत, पतंगें, ग्लाइडर और उड्डयन मशीनें आती हैं;

(3) "स्थौरा वायुयान" से यात्री वायुयान से भिन्न, कोई ऐसा वायुयान अभिप्रेत है जो माल या संपत्ति को ले जाता है;

(4) "कर्मीदल-सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रचालक द्वारा उड़ान डयूटी अवधि के दौरान किसी वायुयान पर डयूटी के लिए समुनुदेशित किया गया है;

(5) "खतरनाक माल" से ऐसी वस्तुएं या पदार्थ अभिप्रेत हैं जो स्वास्थ्य, सुरक्षा, संपत्ति या पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा करने में समर्थ है और जिन्हें तकनीकी अनुदेशों में इस रूप में सूचीबद्ध किया गया है या जो तकनीकी अनुदेशों के अनुसार वर्गीकृत किए गए हैं;

(6) "खतरनाक माल दुर्घटना" ऐसी कोई घटना अभिप्रेत है जो वायुयान द्वारा खतरनाक माल के परिवहन से सहयुक्त और संबंधित है और जिसके परिणाम-स्वरूप किसी व्यक्ति या धारक को गंभीर क्षति हुई है या पर्यावरण या संपत्ति का काफी नुकसान हुआ है;

(7) "खतरनाक माल की घटना" का तात्पर्य है,–

(i) खतरनाक वस्तु दुर्घटना के अलावा ऐसी घटना जो विमान द्वारा ढ़ुलाई से संबद्ध और संबंधित हो, जो किसी विमान पर आवश्यक रूप से नहीं हो जिसके परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति घायल हो अथवा संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान हो अथवा जिससे आग, तोड़फोड, द्रव रिसाव अथवा विकिरण हो अथवा पैकेजिंग में खराबी के कारण कोई घटना हुई हो; और

(ii) खतरनाक वस्तुओं के परिवहन के कारण कोई घटना हुई हो जो विमान अथवा इसके यात्रियों को नुकसान पहुंचाता हो।

(8) "महानिदेशक" का अर्थ नागर विमानन का महानिदेशक है;

(8क) "छूट" का अर्थ अनुबंधों और तकनीकी अनुदेशों में निहित प्रावधानों से राहत प्रदान करते हुए किसी राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रदान किये गए अनुमोदन के अतिरिक्त जारी प्राधिकरण;

(9) "उड़ान कर्मीदल सदस्य" से कर्मीदल का ऐसा अनुज्ञप्त सदस्य अभिप्रेत है जिसे उड़ान डयूटी अवधि के दौरान वायुयान के प्रचालन के लिए अनिवार्य कर्तव्य सौंपे गये हों;

(10) "प्रचालक" से ऐसा व्यक्ति, संगठन या उद्यम अभिप्रेत है जो वायुयान प्रचालन में लगा हुआ है या उसमें लगने के लिए प्रस्ताव करता है;

(11) "ओवरपैक" से किसी एक माल भेजने वाले द्वारा कोई एक या अधिक पैकेज अंतर्विष्ट करने के लिए और हथालन और भरण की सुविधा के लिए एक हथालन एकक का विनिर्माण करने के लिए प्रयुक्त संवेष्टक अभिप्रेत है;

(12) "पैकेज" से पैकेजिंग प्रचालन का कोई पूर्ण उत्पाद अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत परिवहन के लिए तैयार की गई पैकेजिंग और उसकी अंतर्वस्तुएं सम्मिलित हैं;

(13) "पैकेजिंग" से पात्र और कोई अन्य संघटक या सामग्री अभिप्रेत हैं जो अपने आधान के कृत्य करने के लिए पात्र के लिए आवश्यक हैं;

(14) "यात्री वायुयान" से ऐसा वायुयान अभिप्रेत है जो कर्मीदल सदस्य, पदीय हैसियत में प्रचालक के किसी कर्मचारी, किसी समुचित राष्ट्रीय प्राधिकरण के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी पारेषण या अन्य स्थौरा के साथ जाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को ले जाता है;

(15) "पायलेट-इन-कमांड" से ऐसा पायलेट अभिप्रेत है जिसे प्रचालक द्वारा पदाभिहित किया गया है या सामान्य विमानन की दशा में, स्वामी द्वारा इस रूप में पदाभिहित किया गया है कि जो समादेशन करता हो और जिसे उड़ान के सुरक्षित संचालनक का भार सौंपा गया हो;

(16) "गंभीर क्षति" से ऐसी क्षति अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति को किसी दुर्घटना में पहुंची है और जिसकी वजह से:

(क) 48 घंटे से अधिक के लिए अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है और वह अवधि क्षति पहुंचने की तारीख से सात दिन के भीतर प्रारंभ होगी; या

(ख) जिसके परिणामस्वरूप कोई अस्थि भंग हुई हो (अंगुलियों, पादागुंलियों या नाक के साधारण भंगों के सिवाय) या

(ग) जिसमें विदीर्णन अंतर्वलित है जो गंभीर रक्तस्त्राव, स्नायु, मांसपेशी या नस की क्षति कारित करता है; या

(घ) जिसमें किसी आंतरिक अंग को हुई क्षति अंतर्वलित हो; या

(ङ) जिसमें द्वितीय या तृतीय डिग्री की जलन अंतर्वलित है या ऐसी कोई जलन अंतर्वलित है जिससे शरीर की त्वचा पांच प्रतिशत से अधिक प्रभावित हुई हो; या

(च) जिसमें संक्रामक पदार्थों या हानिकार विकिरीणन के प्रति सत्यापित अनावरण है।

(16क) "मूल राज्य" का अर्थ वह राज्य क्षेत्र है जिसके लिए खतरनाक मालों का यह प्रेषण सर्वप्रथम विमान पर लोड किया जाना होता है;

(16ख) "गंतव्य राज्य" का तात्पर्य वह राज्य क्षेत्र है जिसके लिए इस माल को विमान से अंततोगत्वा उतारा जाना है;

(17) "प्रचालक का राज्य" से वह राज्य अभिप्रेत है जिसमें प्रचालक के कारबार का मुख्य स्थान अवस्थित है या, यदि कोई कारबार का ऐसा स्थान नहीं है तो प्रचालक का स्थायी निवास स्थान अवस्थित है;

(18) "तकनीकी अनुदेश" से अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा जारी खतरनाक माल के वायु द्वारा सुरक्षित परिवहन के लिए तकनीकी अनुर्देश अभिप्रेत हैं;

(19) "यू.एन.संख्या" से किसी पदार्थ या पदार्थों के विशिष्ट समूह की पहचान करने के लिए खतरनाक माल और रसायनों के वर्गीकरण और लेबलिंग की वैश्विक सुसंगत प्रणाली पर परिवहन के संबंध में संयुक्त राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा समनुदेशित 4 अंकीय संख्या अभिप्रेत है;

(20) "यूनिट लोड डिवाइस" से किसी वायुयान पर माल लादने के लिए परिकल्पित किया गया किसी प्रकार का माल भाड़ा आधान, वायुयान आधान या वायुयान सांथरी अभिप्रेत है जिसमें जाल लगा हो किंतु इसके अंतर्गत ओवर पैक नहीं है।

3. विमान द्वारा खतरनाक मालों की ढुलाई- (1) यदि आपरेटर के राष्ट्र के वैमानिकी प्राधिकारी द्वारा खतरनाक मालों की ढुलाई के लिए प्रमाणित नहीं किया गया हो तो कोई भी प्रचालक खतरनाक मालों की ढुलाई नहीं करेगा।

(2) किसी भी प्रचालक तकनीक अनुदेशों में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अध्यधीन शर्तों के अनुसार स्थिति को छोड़कर भारत से, भारत के भीतर या इसके बाहर ऐसे विमान में किसी खतरनाक मालों की ढुलाई की अनुमति नहीं होगी अथवा लोडिंग नहीं करेगा:

बशर्ते कि विस्फोटक के रूप में वर्गीकृत खतरनाक माल विमान नियम 1937 के नियम 8 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा लिखित रूप में दी गयी अनुमति के अनुसार तथा निबंधन व शर्तों के अध्यधीन स्थिति को छोड़कर भारत से भारत में ही इससे बाहर किसी भी विमान में ढुलाई नहीं की जाएगी।

बशर्ते कि जहां रेडियो सक्रिय वस्तु के रूप में वर्गीकृत खतरनाक मालों की भारत से भारत में ही ढुलाई की जाती है वहां प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रेषक या प्रेषणी, जैसा भी मामला हो, ने आण्विक ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 16 के तहत ऐसे मालों की ढुलाई के लिए केन्द्र सरकार से लिखित सहमति ली है।

बशर्ते यह भी कि जहां स्थिति बिल्कुल आपातकालीन हो यथा राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संकट या प्राकृतिक आपदाएं अथवा जिसमें ऐसे मालों का विमान द्वारा परिवहन अन्यथा आवश्यक हो और तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन लोकहित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, वहां महानिदेशक अथवा केन्द्र सरकार की ओर से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी लिखित रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इन अपेक्षाओं के अनुपालन से छूट प्रदान कर सकता है बशर्ते कि वह इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी वस्तुओं के परिवहन में सुरक्षा के समग्र स्तर को प्राप्त करने के लिए हर प्रयास किया गया है जो इन तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट सुरक्षा के स्तर के समतुल्य है।

(3) उपनियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी किसी भी परिस्थिति में विमान द्वारा परिवहन के लिए प्रतिबंधित के रूप में तकनीकी अनुदेशों में नाम या जेनरिक विवरण द्वारा विशेषरूप से इंगित वस्तु या सामान किसी विमान में नहीं ले जाया जाएगा।

(4) उप नियमों (1) और (2) के प्रावधान निम्न पर लागू नहीं होंगे-

(क) खतरनाक वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत कोई वस्तु या चीज किंतु संगत उड़न योग्यता अपेक्षाओं के अनुसार अन्यथा रूप में विमान के भीतर ले जाने के वाली वस्तु तथा प्रचालन विनियम, अथवा ऐसे विशेषीकृत उद्देश्यों के लिए जो तकनीकी अनुदेशों में पहचान की गयी हो।

(ख) तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट यात्रियों या विमान कर्मियों द्वारा विशिष्ट वस्तुओं और सामानों की ढुलाई।

(5) जहां खतरनाक मालों को उपनियम (2) के अंतर्गत ले जाया जाता है, वहां शिपर, प्रचालक और पैकिंग, मेकिंग, लेवलिंग, स्वीकृति, हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, भंडारण, परिवहन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति अथवा ऐसे खतरनाक मालों की ढुलाई के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबद्ध किसी अन्य प्रक्रिया का यह कर्तव्य है कि वह विमान में अथवा किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति के प्रति खतरे से बचने के लिए सभी पूर्व सावधानियां उठाए।

(4) **अप्राधिकृत खतरनाक माल की अभिरक्षा-** जहां केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या उल्लंघन किया जाने वाल है, वहां वह प्रश्नगत खतरनाक माल के स्वरूप की विस्तृत जांच होने के दौरान या उस विषय में की जाने वाली कार्रवाई, यदि कोई हो, के संबंध में किसी विनिश्चय के लंबित रहने के दौरान अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

4क. खतरनाक मालों का वर्गीकरण- खतरनाक मालों का वर्गीकरण तकनीकी अनुदेशों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

5. पैकिंग- (1) खतरनाक माल को इस नियम के उपबंधों के अतिरिक्त तकनीकी अनुदेशों में विनर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार पैक किया जाएगा।

(2) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खतरनाक पदार्थ की कोई भी हानिकारक मात्रा खतरनाक माल के परिवहन के लिए प्रयुक्त पैकिंग के बाहर लगी हुई न हो।

(3) वायुयान द्वारा खतरनाक माल के परिवहन के लिए प्रयुक्त पैकेजिंग अच्छी क्वालिटी की और इस प्रकार सनिर्मित और सुरक्षित रूप से होंगी जिससे रिसाव से बचा जा सके जो तापमान, आर्द्रता या दवाब में परिर्वतन द्वारा या कंपन द्वारा परिवहन की सामान्य दशाओं में कारित हो सकती है।

(4) पैकेजिंग उसकी अंतर्वस्तु के लिए उपयुक्त होंगी और ऐसी पैकेजिंग जिसका खतरनाक माल से सीधे संपर्क हो किसी रसायन या माल की अन्य क्रिया के प्रतिरोधी होगी।

(4क) पैकेजिंग तकनीकी अनुदेशों में निहित सामग्रियों और निर्माण विशिष्टियों को पूरा करेगा।

(4ख) पैकेजिंग का तकनीकी अनुदेश के प्रावधानों के अनुसार परीक्षण किया जाएगा।

(4ग) पैकेजिंग जिनके लिए शराब का अवरोधन मूल कार्य है, तकनीकी अनुदेशों में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार संभालने, रिसाब रहित और दाब में सक्षम होगा।

(5) खतरनाक माल के परिवहन के लिए प्रयुक्त आंतरिक पैकिंग इस रीति से पैक, सुरक्षित की जाएगी या उसमें गद्दी लगाई जाएगी जिससे कोई भी टूट-फूट या रिसाव न हो और या खतरनाक माल के वायु परिवहन की सामान्य दशाओं के दौरान बाहरी पैकेजिंग के

भीतर खतरनाक माल के संचलन को नियंत्रण करेगी ओर गद्दी और अवशोषक सामग्री आधानों की अंतर्वस्तुओं के साथ खतरनाक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगी।

(6) खतरनाक माल के परिवहन के लिए प्रयुक्त कोई भी पैकेजिंग तब तक पुन: प्रयुक्त नहीं की जाएगी,-

(क) जब तक कि उसका निरीक्षण न कर लिया गया हो और उसे संक्षारण या अन्य नुकसानों से मुक्त न पाया गया हो; और

(ख) जब तक कि पश्चात्वर्ती अंतर्वस्तुओं के संदूषण को रोकने के लिए सभी आवश्यक पूर्वावधानियां न बरती गई हों;

परन्तु जहां खतरनाक माल के परिवहन के लिए पहले से प्रयुक्त पैकजिंग को समुचित रूप से साफ करना संभव न हो वहां ऐसी साफ न की गई खाली पैकेजिंग को वायुयान द्वारा ऐस खतरनाक माल, जिसके लिए ऐसी पैकेजिंग का पहले उपयोग किया गया है, के परिवहन के लिए यथाअधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए परिवाहित की जाएगी।

6. **लेबल लगाना-** जब तक कि तकनीकी अनुदेशों में अन्यथा उपबंधित न हो, खतरनाक माल के प्रत्येक पैकेज पर तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार लेबल लगाए जाएंगे।

7. **चिन्हांकन -** (1) तकनीकी अनुदेशों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, खतरनाक माल के प्रत्येक पैकेज को उसकी अंतर्वस्तु के उचित प्रेषण के नाम के साथ चिन्हांकित किया जाएगा और जब समनुदिष्ट हो, संयुक्त राष्ट्र संख्या और ऐसे अन्य चिन्हांकन लगाए जाएंगे जो उन अनुदेशों में विनिर्दिष्ट हों।

(2) तकनीकी अनुदेशों में जैसा यथाउपबंधित है उसके सिवाय, तकनीकी अनुदेशों के विनिदेशों के अनुरूप विनिर्मित प्रत्येक पैकेजिंग पर तकनीकी अनुदेशों के उपबंधों के अनुसार चिन्हांकन किया जाएगा और इस प्रकार कोई अन्य पैकेजिंग चिन्हांकित नहीं की जाएगी।

(3) खतरनाक मालों के संबंध में चिन्हांकन के लिए मूल राष्ट्र द्वारा अपेक्षित भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा।

8. **माल भेजने वाले के दायित्व -** (1) कोई भी माल भेजने वाले या उसके अभिकर्ता खतरनाक माल के किसी पैकेज या ओवरपैक को वायुयान द्वारा परिवहन के लिए तब तक प्रस्थापित नहीं करेगा जब तक कि उसने यह सुनिश्चित न कर दिया हो कि ऐसा खतरनाक माल वायुयान

द्वारा परिवहन के लिए वर्जित नहीं है, और उसे उचित रूप से, तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार वर्गीकृत, पैक, चिन्हांकित किया गया है और उस पर लेबल लगाया गया है।

(2) जब तक इन नियमों में यथाउपबंधित न हो, कोई भी माल भेजने वाले या उसके अभिकर्ता वायुयान द्वारा परिवहन के लिए खतरनाक माल को प्रस्थापित नहीं करेगा जब तक कि उसने तकनीकी अनुदेशों में यथाविनिर्दिष्ट, खतरनाक माल परिवहन दस्तावेज को पूरा नहीं कर दिया हो, उस पर हस्ताक्षर न कर दिए हों और प्रचालक को उपलब्ध न करा दिया हो।

(3) खतरनाक माल परिवहन दस्तावेज पर एक घोषणा होगी जिस पर माल भेजने वाले द्वारा यह उपदर्शित करते हुए हस्ताक्षर किए जाएंगे कि खतरनाक माल को उसके उचित प्रेषण नामों से पूर्णत: या पर्याप्त रूप से वर्णित कर दिया गया है और उसे तकनीकी अनुदेशों की अपेक्षाओं के अनुसार वायुयान द्वारा परिवहन के लिए वर्गीकृत, पैक, चिन्हांकित किया गया है, उस पर लेबल लगाया गया है और वह सही हालत में है।

9. प्रचालक के दायित्व - (1) कोई भी प्रचालक वायुयान द्वारा परिवहन के लिए खतरनाक माल को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि -

(क) खतरनाक माल के साथ सिवाय वहां के जहां तकनीकी अनुदेश यह विनिर्दिष्ट करता हो कि ऐसा दस्तावेज अपेक्षित नहीं है, पूरा किया गया खतरनाक माल परिवहन दस्तावेज है।

(ख) ऐसे पैकेज, ओवरपैक या माल आधान, जिसमें खतरनाक माल अंतर्विष्ट हैं, का तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट स्वीकृति की प्रक्रिया के अनुसार निरीक्षण कर लिया गया है।

(2) प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि तकनीकी अनुदेशों द्वारा यथा अपेक्षित स्वीकृति जांच-सूची विकसित कर ली गई है और उसके स्वीकृति कर्मचारीवृंद द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा है।

(3) ऐसे पैकेजों और ओवर पैकों का जिसमें खतरनाक माल अंतर्विष्ट हैं और ऐसे माल आधानों का जिसमें रेडियोधर्मी सामग्री अंतर्विष्ट हैं, किसी वायुयान पर या यूनिट लोड डिवाइस में लादने

से पूर्व रिसाव या हानि के साक्ष्य के लिए निरीक्षण किया जाएगा और ऐसे पैकेजों, ओवर पेकों या माल आधानों को वायुयान पर तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार लादा जाएगा और उसमें चढ़ाया जाएगा।

(4) प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी रिसाव युक्त या क्षतिग्रस्त पैकेज, ओवरपैक या माल आधान जिनमें खतरनाक माल अंतर्विष्ट हैं, किसी वायुयान पर लादा नहीं जाएगा।

(5) किसी यूनिट लोड डिवाइस को किसी वायुयान के फलक पर तब तक लादा नहीं जाएगा जब तक कि उस डिवाइस का निरीक्षण न कर लिया गया हो और अंतर्विष्ट किसी खतरनाक माल के रिसाव या नुकसानी के किसी साक्ष्य से मुक्त न पाया गया हो।

(6) जहां किसी वायुयान पर लादे गए खतरनाक माल का कोई पैकेज नुकसानग्रस्त या रिसता प्रतीत होता है वहां प्रचालक ऐसे पैकेज को वायुयान से हटा देगा या यथास्थिति, किसी समुचित प्राधिकारी या संगठन द्वारा उसके हटाने के लिए व्यवस्था करेगा और उसके पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि शेष पारेषण वायुयान द्वारा परिवहन के लिए उचित स्थिति में है और कोई अन्य पैक संदूषित नहीं हुआ है।

(7) ऐसे पैकेजों या ओवरपैकों का जिसमें खतरनाक माल अंतर्विष्ट हैं और ऐसे माल आधानों का जिनमें रेडियाधर्मी सामग्री अंतर्विष्ट है, वायुयान से या यूनिट लोड डिवाइस से उतारते समय नुकसान या रिसाव के किसी संकेत के लिए निरीक्षण किया जाएगा और यदि नुकसान या रिसाव का कोई साक्ष्य पाया जाता है तो उस स्थान का जहां खतरनाक माल या यूनिट लोड डिवाइस लदे हुए थे, नुकसान या संदूषण के लिए निरीक्षण किया जाएगा।

(8) नियम 3 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्टमाल के सिवाय, कोई भी खतरनाक माल किसी वायुयान में यात्रियों के अधिभोग में केबिन में या किसी वायुयान की फ्लाइट डैक पर नहीं ले जाया जाएगा।

(9) खतरनाक माल के रिसाव या नुकसान के परिणामस्वरूप किसी वायुयान पर पाए गए किसी संकटमय संदूषण को बिना विलंब के तत्काल हटाया जाएगा।

(10) ऐसे वायुयान को जो रेडियोधर्मी सामग्री से संदूषित हो गया है, तत्काल सेवा से बाहर कर दिया जाएगा और उसे सेवा में तब तक वापस नहीं लाया जाएगा

जब तक कि किसी पहुंच योग्य स्थान पर विकिरण स्तर और अनियत संदूषण तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट मानकों से अधिक नहीं है।

(11) ऐसे पैकेजों को जिनमें खतरनाक माल अंतिर्विष्ट है और जो एक दूसरे के साथ खतरनाक रूप से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, किसी वायुयान पर एक दूसरे के पश्चात् नहीं चढ़ाया जाएगा, जिसमें रिसाव की स्थिति में उनके बीच पारस्परिक कोई क्रिया हो सके।

(12) विषाक्त और संक्रामक पदार्थों के पैकेजों को किसी वायुयान पर तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार ही चढ़ाया जाएगा।

(13) रेडियोधर्मी सामग्री के पैकेजों को किसी वायुयान पर इस प्रकार चढ़ाया जाएगा जिससे कि उन्हें व्यक्तियों, जीवित पशुओं और अविकसित फिल्म से तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार पृथक किया जा सके।

(14) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जब खतरनाक माल को किसी वायुयान पर लादा जाता है तब प्रचालक उक्त खतरनाक माल का क्षतिग्रस्त होने से संरक्षण करेगा और उक्त वायुयान में ऐसे माल को किसी ऐसी रीति से सुरक्षित करेगा जिससे उड़ान के दौरान किसी संचालन को रोका जा सके जो पैकेज के पूर्वाभिमुखीकरण को परिवर्तित करता हो। ऐसे पैकेजों के लिए जिनमें रेडियोधर्मी सामग्री अंतर्विष्ट हैं ऐसी सुरक्षा होगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होगी कि उपनियम (13) के पृथककरण की अपेक्षाओं को हर समय पूरा किया जाता है।

(15) तकनीकी अनुदेशों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, खतरनाक माल के जिन पैकेजों पर "कारगो एयरक्राफ्ट ओनली" लिखा हुआ लेबल लगा हो। उन पैकेजों को ऐसी रीति में लादा जाएगा जिससे कि कर्मीदल सदस्य या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति उसे देख सकें, उसका रख रखाव कर सकें ओर जहां आकार और वजन अनुज्ञा देता हो ऐसे पैकेजों को उड़ान के दौरान अन्य स्थौरा से पृथक कर सकें।

9क. गलत तरीके से घोषित अथवा अघोषित खतरनाक माल- (1) यदि समान, कार्गो अथवा डाक को स्वीकार करने अथवा संभलाई करने के लिए प्रचालक या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई

उनकी ओर से कार्य करने वाला व्यक्ति यह पाता है कि गलत तरीके से घोषित अथवा अघोषित माल है, तो वह इसकी सूचना महानिदेशक को देगा।

(2) ऐसी अन्य संगत सूचना के अतिरिक्त उप नियम (1) के अंतर्गत रिपोर्ट में निम्नलिखित सूचना होगी-

(i) उस व्यक्ति अथवा प्रचालक रिपोर्टिंग का नाम और पता;
(ii) शीपर का नाम और पता;
(iii) गलत तरीके से घोषित अथवा अघोषित खतरनाक मालों को पकड़ने की तिथि और स्थान;
(iv) खतरनाक मालों की श्रेणी और भाग साथ ही उचित शिपिंग नाम और ऐसे खतरनाक मालों की मात्रा;

(3) महानिदेशक, रिपोर्ट की प्राप्ति पर, आवश्यक पाए जाने पर, अघोषित अथवा गलत तरीके से घोषित खतरनाक वस्तुओं के परिणामों को सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निवारक उपाय करने के लिए जांच का आदेश देगा।

10. सूचना का उपबंध - (1) उस वायुयान का प्रचालक जिसमें खतरनाक माल को ले जाना है, पायलेट-इन- कमांड को वायुयान के प्रस्थान से पूर्व यथासाध्य शीघ्र तकनीकी अनुदेशों की अपेक्षा के अनुसार लिखित में सूचना देगा।

(2) प्रचालक प्रचालन मैनुअल में ऐसी सूचना प्रदान करेगा ताकि उड़ान कर्मीदल के सदस्य खतरनाक वस्तुओं के परिवहन के संबंध मे अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में समर्थ हो सके और साथ ही अनुदेश भी प्रदान करेंगे कि खतरनाक वस्तुओं की अंतर्ग्रस्तता से उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति में कार्रवाई की जा सके।

(3) आपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि सूचना को ऐसे तरीके से प्रख्यापित किया जाए कि यात्रियों को ऐसी प्रकार की वस्तुओं के प्रति चेताया जाए जिनकी विदेश में विमान द्वारा परिवहन करने पर मनाही है जो तकनीकी अनुदेशों में दिया गया है।

(4) आपरेटर, शिपर अथवा अन्य संगठन जो विमान द्वारा खतरनाक वस्तुओं के परिवहन में शामिल हैं, अपने कार्मिकों को ऐसी सूचनाएं प्रदान करेंगें ताकि वे खतरनाक वस्तुओं के परिवहन के संबंध में अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में समर्थ हों और खतरनाक वस्तुओं से उत्पन्न होने वाली आपात स्थितियों में कार्रवाई करने के लिए अनुदेश भी देगा।

(5) यदि उड़ान के दौरान कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो, पायलट इन कमांड यथाशीघ्र स्थिति अनुकूल होने पर विमान परिवहन सेवा एकक को तकनीकी अनुदेशों में यथा प्रदत्त

विमान में खतरनाक वस्तुओं के बारे में हवाई क्षेत्र प्राधिकरण को उपयुक्त सूचना प्रदान करेगा।

(6) जहां खतरनाक वस्तुएं कार्गो के रूप में ले जायी जाती हैं, उनमें विमान दुर्घटना अथवा गंभीर घटना होने पर, विमान का आपरेटर अविलंब ही इस दुर्घटना अथवा गंभीर घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए आपात सेवाओं के लिए सूचना प्रदान करेगा और यथाशीघ्र प्रचालक के राज्य के उपयुक्त प्राधिकारी और राज्य, जहां यह दुर्घटना अथवा गंभीर घटना होती है, को पायलट इन कमांड को लिखित सूचना के रूप में विमान में खतरनाक वस्तुओं को प्रदर्शित करेगा।

(7) विमान दुर्घटना होने पर कार्गो के रूप में खतरनाक वस्तुओं को ले जा रहे विमान का आपरेटर इस घटना पर प्रतिक्रिया करते हुए आपातकालीन सेवाओं के संबंध में अविलंब ही अनुरोध किए जाने पर सूचना प्रदान करेगा और उक्त राज्य के उपयुक्त प्राधिकरण को पायलट इन कमांड को लिखित सूचना पर दिखाए गए अनुसार विमान पर इन खतरनाक वस्तुओं के बारे में बताएगा जहां यह घटना हुई है।

10क. जांच - (1) महानिदेशक अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी लिखित रूप में सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा किसी उचित समय पर उस स्थान पर जा सकता है जिसके लिए पहुंच और इन नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी सेवा, उपकरण, दस्तावेज और रिकार्ड की जांच के लिए आवश्यक है।

(2) आपरेटर, शिपर, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान और खतरनाक वस्तुओं के परिवहन से संबंधित प्रत्येक अन्य व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत करेगा कि उसकी पहुंच विमान, भवन के किसी भाग अथवा उपकरण, रिकार्ड, दस्तावेजों और कार्मिक तक पहुंच हो और वह इन नियमों के अंतर्गत अपने अधिकारों के प्रयोग करने अथवा अपने कार्यों को करने में सहयोग करेगा।

(3) महानिदेशक अथवा अन्य कोई अधिकारी जो उप नियम (1) के अंतर्गत प्राधिकृत हो, इन नियमों के अंतर्गत कार्य करने वाली किसी कंपनी द्वारा कथित उल्लंघन की जांच कर सकता है और ऐसी जांच के लिए उप नियम (1) के अंतर्गत अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

11. **खतरनाक माल दुर्घटनाएं और घटनाएं-** (1) खतरनाक माल दुर्घटनाओं अथवा खतरनाक माल घटनाओं, जैसा भी मामला हो, विमान के पायलट इन कमांड और विमान के आपरेटर अथवा हवाई क्षेत्र के प्रचालक, जैसा भी मामला हो, ऐसी दुर्घटना अथवा घटना पर महानिदेशक को लिखित रूप में एक रिपोर्ट सौंपेगा।

(2) अन्य संबंधित सूचना के अतिरिक्त उप नियम (1) के तहत रिपोर्ट में निम्नलिखित सूचना निहित होगा-

(क) विमान का प्रकार, राष्ट्रीयता और पंजीकरण चिह्न;

(ख) विमान के स्वामी, आपरेटर और किरायेदार का नाम;

(ग) विमान के पायलट इन कमांड का नाम;

(घ) उड़ान की प्रकृति और उद्देश्य;

(घ) खतरनाक वस्तु दुर्घटना अथवा घटना की तिथि और समय;

(ड.) वह जगह जहां यह घटनाएं हुई हैं:

(च) विमान के प्रस्थान का अंतिम बिंदू और लैंडिंग का अगला बिंदू;

(छ) विमान पर खतरनाक वस्तुओं का ब्यौरा यथा उनका उचित शिपिंग नाग, यूएन संख्या, प्रमात्रा आदि।

(ज) खतरनाक वस्तुओं दुघर्टना अथवा घटना का ज्ञात कारण;

(झ) विमान के भीतर अन्य कार्गो का ब्यौरा;

(¥) विमान, अन्य संपत्ति और विमान के भीतर लोगों को ज्ञात क्षति की सीमा;

(ट) महानिदेशक द्वारा शामिल की जाने वाली अपेक्षित सूचना।

(3) उप नियम (1) के तहत रिपोर्ट की प्राप्ति पर महानिदेशक आवश्यक समझने पर ऐसी दुर्घटना अथवा घटना के कारणों को निर्धारित करने के लिए जांच का आदेश दे सकता है और ऐसी दुर्घटना अथवा घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निवारक उपाय कर सकता है।

12. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना - (1) कोई भी व्यक्ति खतरनाक माल के परिवहन में किसी भी रीति में स्वयं को तब तक नहीं लगाएगा जब तक कि उसने तकनीकी अनुदेशों के अनुसार कोई उचित प्रशिक्षण न लिया हो।

(2) यह प्रशिक्षण खतरनाक वस्तुओं के परिवहन में लगे लोगों के रोजगार के संबंध में दी जाएगी अथवा प्रमाणित की जाएगी और पुनर्प्रशिक्षण पिछले प्रशिक्षण के चौबीस महीनों के भीतर दिया जाएगा।

(3) इस उप नियम (2) में संदर्भित प्रशिक्षण की वैधता अवधि इस प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने की तिथि से चौबीस महीने के लिए होगी ।

(4) पुनर्प्रशिक्षण के मामले में प्रशिक्षण की वैधता का अवधि उस शर्त के अध्यधीन पिछले प्रशिक्षण की समाप्ति की तिथि से शुरू होगी जो पुनर्प्रशिक्षण को पिछले प्रशिक्षण की

समाप्ति की तिथि के तीन महीने की अनधिक की अवधि के भीतर सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।

(5) उप नियम (4) में संदर्भित मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में पुनर्प्रशिक्षण की वैधता अवधि पुनर्प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरे होने की तिथि से शुरू होगी।

12क. प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थापना और अनुमोदन- (1) शुरूआती और आवर्ती खतरनाक वस्तु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना और संचालन निम्न द्वारा अथवा उनकी ओर से किया जाएगा,-

(क) शिपर की जिम्मेदारियों को करने वाले पैकर और व्यक्ति अथवा संगठन सहित खतरनाक वस्तुओं के शिपर;

(ख) आपरेटर;

(ग) ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियां जो आपरेटर की ओर से कार्गो के हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, अंतरण अथवा अन्य संसाधन कार्य को करता है;

(घ) हवाई अड्डे पर अवस्थित ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियां जो आपरेटर की ओर से संसाधन यात्रियों के कार्य को करता है;

(ड.) किसी हवाई अड्डे पर जो एजेन्सियां न हो, जो आपरेटर की ओर से यात्रियों की जांच कार्य करती हों;

(च) माल को आगे ले जाने वाला; और

(छ) वे एजेन्सियां जो यात्रियों की सुरक्षा जांच और उनके समान और कार्गों में लगी हों।

(2) प्रशिक्षण, प्रशिक्षित किए जाने वाले कार्मिकों के उत्तरदायित्वों के अनुरूप अपेक्षाओं में प्रदान किया जाएगा और ऐसे प्रशिक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होगा -

(क) साधारण उपबंधों से सुपरिचित कराने के उद्देश्य से साधारण सुपरिचय प्रशिक्षण;

(ख) विनिर्दिष्ट कृत्य संबंधी प्रशिक्षण जिसमें उस कृत्य को जिसके लिए वह व्यक्ति उत्तरदायी है, लागू अपेक्षाओं में विस्तृत प्रशिक्षण देना भी है;

(ग) सुरक्षा प्रशिक्षण जो खतरनाक माल द्वारा प्रस्तुत परिसंकट, सुरक्षित हथालन और आपातकाल में कार्रवाई करने की प्रक्रिया के लिए हो।

(3) किसी भारतीय प्रचालक अथवा भारत में हीं किसी अन्य एजेंसी द्वारा स्थापित और चालित प्रशिक्षण कार्यक्रम महानिदेशक द्वारा समीक्षा और अनुमोदन के अधीन होगा।

(4) विदेशी प्रचालक की ओर से अपने कर्मियों के लए स्थापित और चालित प्रशिक्षण कार्यक्रम को महानिदेशक द्वारा यह साक्ष्य रखे जाने पर वैध स्वीकार किया जाएगा कि इसे प्रचालक के राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(5) उप नियम (3) के अंतर्गत अनुमोदन देने हेतु आवेदन महानिदेशक के पास इस रूप में किया जाएगा और इनमें ऐसे विवरण अथवा दस्तावेज होंगे जो उनके द्वारा विनिर्दिष्ट हों।

(6) महानिदेशक अथवा केन्द्र सरकार की ओर से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी संतुष्ट होने पर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू करने अथवा चलाने के लिए किसी संगठन के लिए अनुमोदन प्रदान कर सकता है।

(7) यदि निरस्त अथवा रद्द न किया गया हो तो, उप नियम (6) के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन एक वर्ष से अनधिक के लिए मान्य रहेगा जिसे एक बार में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।

(8) अनुमोदन देने के लिए पचास हजार रूपए की राशि और तत्संबंधी नवीकरण के लिए पच्चीस हजार रूपए की राशि शुल्क रूप में देय होगी।

(9) यह शुल्क इंडियन पोस्टल आर्डर अथवा मांग पत्र के रूप में चुकायी जाएगी जो नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन और लेखा कार्यालय के पक्ष में होगा।

13. महानिदेशक द्वारा निदेश - महानिदेशक, वैमानिक सूचना परिपत्रों (ए आई सी) और नागर विमानन अपेक्षाओं (सी ए आर) नाम के प्रकाशन के माध्यम से पैकिंग, चिन्हांकन, लेबल लगाना, स्वीकृति, हथलाने, लदाई, उतराई, भंडारण, प्रशिक्षण और वायुयान द्वारा खतरनाक माल के वहन से प्रत्यक्षत: या परोक्षत: संबंधित अन्य कोई क्रिया और प्रक्रिया के बारे में विशेष अनुदेश जारी कर सकेगा जो वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22), वायुयान नियम, 1937 या इन नियमों के उपबंधों से असंगत न हो।

(2) उप नियम (1) के अंतर्गत नागर विमानन अपेक्षाएं इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों से आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए तीस दिनों की अवधि के लिए नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर प्रारूप डालने के बाद जारी की जाएगी: बशर्ते कि महानिदेशक लोकहित में लिखित रूप में आदेश द्वारा ऐसी आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने की आवश्यकता के साथ दे सकता है।

(3) उप नियम (1) के अंतर्गत प्रत्येक निर्देश का उस व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किया जाएगा जिसके लिए ऐसे निर्देश जारी किया गया है।

(4) यदि कोई उप नियम (1) के तहत जारी किसी निर्देश के अनुपालन में असफल रहता है तो वह किसी अवधि के लिए दंड का भागीदार होगा जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है अथवा इसके साथ जुर्माना लगाया जाएगा जिसे दो लाख रूपए तक हो सकता है, या दोनों हो सकता है।

14. छूट देने की साधारण शक्ति - केन्द्रीय सरकार, लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी वायुयान या किसी वर्ग के वायुयान या किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को इन नियमों के प्रवर्तन से पूर्णत: या भागत: ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, छूट दे सकेगी।

15. लाइसेंस, प्रमाणपत्र और अनुमोदन को रद्द करना अथवा निरस्त करना- जहां महानिदेशक अथवा केन्द्र सरकार की ओर से प्राधिकृत कोई अधिकारी, जिन्हें सुने जाने का अवसर प्रदान किया गया, संतुष्ट है कि कोई व्यक्ति इन नियमों के प्रावधानों अथवा नियम 13 के तहत जारी किसी निर्देश के विपरित कार्य किया है अथवा इसके अनुपालन में असफल रहा है तो, इन नियमों अथवा विमान नियम, 1937 के तहत वह जारी किसी लाइसेंस, प्रमाणपत्र अथवा अनुमोदन को लिखित रूप में रद्द अथवा निरस्त कर सकता है।

[मूल नियम सा.का.नि. 206(अ) दिनांक 5-3-2003 द्वारा प्रकाशित
(i) सा.का.नि. 795(अ) तारीख 6.10.2003
(ii) सा.का.नि. 796(अ) तारीख 6.10.2003
(iii) सा.का.नि. 600(अ) तारीख 27.9.2006
(iv) सा.का.नि. (अ) तारीख 19.3.2007
(v) सा.का.नि. 823(अ) तारीख 12.11.2009
(vi) सा.का.नि. (अ) तारीख 29.11.2010
(vii) सा.का.नि. (अ) तारीख 16.04.2015 तथा
(viii) सा.का.नि. 275(अ) तारीख 25.02.2016 द्वारा संशोधित]